न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/166 **दायरा दिनांक : 06.10.2023**

उनवान

कंचन बाई पत्नी श्यामलाल, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. भगवती बाई पत्नी राधेश्याम, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. धापूबाई पत्नी कैलाशचन्द, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. रामदयाल पुत्र रामकिशन, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. रामलाल पुत्र रामकिशन, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/167 **दायरा दिनांक : 06.10.2023**

उनवान

कंचन बाई पत्नी श्यामलाल, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. भगवती बाई पत्नी राधेश्याम, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. धापूबाई पत्नी कैलाशचन्द, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. रामदयाल पुत्र रामकिशन, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. रामलाल पुत्र रामकिशन, जाति दांगी, निवासी गरदनखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सतीश चंद गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 5 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 05.12.2024**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 139/2022/राजस्व वाद निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 12.04.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गरदनखेड़ी, पटवार हल्का डोला, तहसील पिडावा खाता संख्या नया 83 पुराना 66 खसरा नं. 786 रकबा 1.4417 हेक्टर आराजी दर्ज है। ग्राम गरदनखेड़ी, पटवार हल्का डोला, तहसील पिडावा खाता सं. नया 353 पुराना 134 खसरा नं. 990/646 रकबा 0.7588 हेक्टर, खसरा नं. 994/758 रकबा 0.7714 हेक्टर, खसरा नं. 995/786 रकबा 0.4806 हेक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.0108 हेक्टर दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 12.04.2023 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटा को सुने निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में अपीलांटा को प्रोपर तामील भी नहीं हुई उसके बाद भी एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया तथा प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटा ने दिनांक 20.02.2020 को धारा 53, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट का खाता सं. 134 के कुल 15 किता कुल रकबा 2.9463 हेक्टर के संबंध में वाद पेश कर रखा है, जिसमें उक्त खसरा नं. 990/646 रकबा 0.7588 हेक्टर, खसरा नं. 994/758 रकबा 0.7714 हेक्टर, खसरा नं. 995/786 रकबा 0.4806 हेक्टर दर्ज है उक्त वाद में दिनांक 01.09.2022 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश हुआ उक्त पत्रावली में अभी निर्णय नहीं हुआ है उक्त अपील में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नं. 1 फूलबाई ने अपना हिस्सा भगवतीबाई को दान कर दे दिया है जिस कारण फूलबाई के हिस्से पर भगवतीबाई का नाम दर्ज हो गया है। भगवतीबाई ने ही यह दूसरा वाद पेश किया है जबकि भगवतीबाई को दूसरा वाद पेश करने की बजाय इस वाद में ही पक्षकार बनना चाहिए था। फूलबाई के अधिवक्ता विनोद शर्मा थे तथा विनोद शर्मा की जानकारी में होने के बाद भी भगवतीबाई की ओर से दूसरा वाद विनोद शर्मा ने ही दिनांक 23.09.2022 को पेश किया है तथा दूसरे वाद में केवल तीन खसरा नम्बर का वाद पेश किया है जबकि उक्त खाते में 15 खसरा नम्बर है जो काबिल गौर है। खसरा नं. 995/786 रकबा 0.4806 हेक्टर एवं खसरा नं. 786 रकबा 1.4417 हेक्टर में नहर निकली है जिस कारण उक्त खसरा नम्बर में अवाप्त भूमि को मुआवजा भी भगवतीबाई ने प्राप्त कर लिया है।

दिनांक 24.01.2023 को निर्णय हो जाने के उपरान्त पत्रावली बंटवारा स्कीम में तारीख पेशी दिनांक 03.03.2023 को नियत थी दिनांक 03.03.2023 को ही विभाजन स्कीम पेश हो गई तथा दिनांक 12.04.2023 को फाईनल डिक्री जारी कर दी गई, यह पूरी प्रकिया सोची समझी साजिश के तहत की गई है, जो काबिल गौर है। मातहत न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को नहीं सुना बिना अपीलांटा को सुने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.03.2023 को पेश करना बताकर दिनांक 12.04.2023 को फाइनल डिक्री पारित कर दी। पटवारी हल्का ने विभाजन स्कीम बनाते

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

समय भी अपीलांटा को सूचित नहीं किया। अपीलांटा की गैर मौजूदगी में स्कीम बनाकर न्यायालय में पेश की है। अपीलांटा को अपील में दर्ज आराजीयात में खसरा नं. 995/786 रकबा 04806 हैक्टर में रेस्पो. नं. 3 व 4 ने अपना 1/3 हिस्सा बेचान कर कब्जा संभला दिया है, जिस कारण इस आराजी पर अपीलांटा काबिज चली आ रही है, उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने फाइनल डिक्री में अपीलांटा का नाम खसरा नं. 995/786 रकबा 0.4806 हैक्टर से हटा दिया गया है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाइनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 12.04.2023 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.08.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में समान खसरा नम्बरान का दावा कर दिया। खसरा नं. 998/786 हमने क्रय कर रखा है। भगवती बाई की ओर से नया दावा किया हुआ है फिर भी भगवती बाई की ओर से नया दावा पेश किया जो गलत है। एक दावा विचाराधीन होते हुए दूसरा दावा नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण को भी पुराने दावे के साथ ही कन्सोलीडेट किया जावे। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 12.04.2023 निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि भगवती बाई को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से फूलबाई का जो हिस्सा था वही बंटवारे में दिया गया जो विधिसम्मत है। निर्णय में अवैधता तब होती जब कंचनबाई का हिस्सा भगवती को दिया जाता। फूल के दावे में समझौता पेश हुआ है जो तस्दीक होना बाकी है, जब समझौता हो गया तो अब विवाद का बिन्दु ही नहीं बचता। अपील के तथ्य अवैध है अतः कोस्ट के साथ अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय पिडावा के प्रकरण की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्धान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि प्रतिवादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व में ही प्रस्तुत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया हुआ है। इस दावे के विचाराधीन रहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय में भगवती बाई ने यह दूसरा अपीलाधीन दावा पेश किया है जबकि भगवती बाई को दूसरा दावा पेश करने के बजाय पूर्व प्रस्तुत दावे में ही पक्षकार बनना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में फूलबाई के अधिवक्ता विनोद शर्मा थे तथा विनोद शर्मा को जानकारी में होने के बाद भी भगवतीबाई की ओर से दूसरा नया दावा अधिवक्ता विनोद शर्मा द्वारा ही दिनांक 23.09.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है तथा दूसरे वाद में केवल चार ही खसरा नं. की आराजी का वाद पेश किया है जबकि अन्य खसरा नम्बर की आराजी भी उक्त खाते में दर्ज है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति से होती है।

अपीलांट का एक अन्य कथन यह है कि उन्हें सम्मन की तामील नहीं हुई इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सम्मन की तामील मानकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट की तामील हेतु जारी सम्मन पर किसी श्यामलाल नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है और श्यामलाल कौन है उसका अपीलांट से क्या संबंध है, इस संदर्भ में रिपोर्ट तामील कुलिंदा द्वारा नहीं की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के सम्मनों की तामील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 5 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय में समान आराजी के संदर्भ में पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा दूसरा वाद प्रस्तुत करने एवं अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 पर सम्मनों की तामील में सीपीसी के आदेश 5 के वैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्रियों को अपास्त करना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें संख्या 2023/166 एवं 2023/167 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.04.2023 अपास्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों दावों को कन्सोलीडेट कर उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा